उद्योग विभाग

संशोधित

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम
01	राज्य सरकार द्वारा संचालित/प्रायोजित योजनाओं हेतु बैंक से ऋण नहीं मिलने के संबंध में	इस योजना का मुख्य उद्धेष्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य के युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता हैं साथ ही पूर्व से खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की इकाई के उन्नयन हेतु भी ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता हैं इसके तहत टर्म लोन पर 35 प्रतिषत का अनुदान देने का प्रावधान है जिसकी अधिकतम सीमा रू० 10,00,000/– है।	राज्य के सभी वर्गो के 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक/युवतियों को इसका लाभ देने का प्रावधान है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। इस योजना हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा आवेदन ऑनलाईन MOFI के पोर्टल पर किया जाएगा।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
02.	पी०एम०ई०जी०पी० योजना से संबंधित मामले	इस योजना का मुख्य उद्धेष्य राज्य के षिक्षित युवक/युवतियों को अपना स्व–रोजगार स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। इसके तहत लघु एवंमाध्यम से अधिकतम 50 लाख रू० ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस पर सामान्य वर्ग के आवेदकों को 15–25 प्रतिषत तथा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला को 25–35 प्रतिषत अनुदान का प्रावधान है।	राज्य के सभी वर्गो के 18 वर्ष से अधिक उम्र के आठवाँ पास षिक्षित बेरोजगाार युवक/युवतियों को इसका लाभ देने का प्रावधान है। इस योजन का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मं किया जाता है। इस योजना हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा आवेदन ऑनलाईन च्डम्लच्ब्झटप्ष् के पोर्टल पर किया जाता है।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र

क्र० सं०	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना / कार्यक्रम सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम
03.	विभिन्न प्रकार के मेला, हाट में स्टॉल नहीं मिलने के संबंध में	बिहार सरकार, उद्योग विभाग द्वारा चलाए जा रहें योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के शल्पियों / बुनकरो / उद्यमियों को निःशुल्क स्टॉल / प्रचार–प्रसार एवं राज्य से बाहर मेला–सह–प्रदर्शनी में प्रति शिल्पियों / बुनकरों / उद्यमियों को मानदेय हेतु रू० 5,000.00 (पाँच हजार रू०) मात्र दिया जाता है।	राज्य में कार्यरत शिल्पियों / उद्यमियों / बुनकरों से आमंत्रित आवेदनों को समिति के माध्यम से चयन कर निःषुल्क मेला–सह–प्रदर्शनी में स्टॉल आवंटन किया जाता है।	निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

क्र० सं०	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना / कार्यक्रम सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम
04.	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत अनुमान्य विभिन्न सुविधा के संबंध में	राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेष प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू है तथा इस नीति के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसका उद्देष्य ब्याज अनुदान, कर संबंधी शुल्क / पंजीकरण शुल्क, बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन और कौषल विकास अनुदान आदि अनेक सुविधाओं के साथ उक्त नीति से निवेष के वातावरण में सुधार, कौषल विकास एवं निवेष के लाभों को राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचाना है। बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेष प्रोत्साहन नीति (वस्त्र और चमड़ा), 08.06.2022 से लागू है। यह नीति बिहार औद्योगिक निवेष प्रोत्साहन नीति, 2016 के साथ एकीकृत है, जो वस्त्र एवं चमड़ा व्यवसायों में निवेष करने वाले निवेषकों के लिए अनुकूल है। इस नीति के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेष प्रोत्साहन नीति, 2016 से प्राप्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त पूंजी निवेष अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान, माल ढुलाई प्रतिपूर्ति और बिजली शुल्क अनुदान का प्रावधान भी है। वैकल्पिक ईधन को प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से राज्य सरकार ने बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति–2023 दिनांक–10.07.2023 से लागू की है। इस नीति का उद्देष्य कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) / बायो सी०एन०जी० को शामिल करके कवरेज को व्यापक बनाना है। इस नीति के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेष प्रोत्साहन नीति, 2016 से प्राप्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त पूंजी निवेष अनुदान का प्रावधान भी है। बिहार सरकार औद्योगिक विकास एवं सामाजिक विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देष्य से बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी–2023 दिनांक–09.12. 2023 से लागू की है। इस नीति का उद्देष्य राज्य में लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेषकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रस्तावित है। इस नीति के अन्तर्गत बिहार	राज्य के सभी वर्गो के 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक / युवतियों को इसका लाभ देने का प्रावधान है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में शहरी के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। इस योजना हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा आवेदन ऑनलाईन पोर्टल swc2.bihar.gov.in पर किया जाता है।	उद्योग निदेषक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम
05.	राज्य सरकार द्वारा संचालित/प्रायोजित बुनकरों से संबंधित सभी मामले	राज्य में कार्यरत बुरकरों को कार्यषील पूँजी के रूप में रू० 10,000/– की राषि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही प्रधानमंत्री बुनकर योजनान्तर्गत बुनकरों को बैंक के माध्यम से रू० 50,000/– तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध कराया जाता है।	बुनकर का कार्य करने वाले सभी व्यक्ति इन योजनाओं के लिए पात्र हैं।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
06.	तसर रेशम विकास की योजना (सिल्क समग्र– 2)	इस योजना का मुख्य उद्देश्य तसर रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देना है। केन्द्र प्रायोजित योजना (सिल्क समग्र– 2) के अन्तर्गत तसर रेशम बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य जाति के लाभुकों के लिए (50:25:25) एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए (65:25:10) पैटर्न के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत लाभुकों को प्रति हेक्टेयर तसर खाद्य–पौधे का वृक्षारोपण, कीटपालन उपस्कर एवं कीटनाशी सहायता हेतु कुल 1,20,000/– रुपये इकाई लागत की दर से सहायता प्रदान की जाती है।	राज्य के सभी वर्गों के 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक/युवतियों को इसका लाभ देने का प्रावधान है। लाभुकों को 1 हेक्टेयर बंजर भूमि होना आवश्यक है।	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम
07.	मलवरी रेशम विकास की योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मलवरी रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देना है। केन्द्र प्रायोजित योजना (सिल्क समग्र– 2) के अन्तर्गत मलवरी रेशम बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य जाति के लाभुकों के लिए (50:25:25) एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए (65:25:10) पैटर्न के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत लाभुकों को प्रति हेक्टेयर मलवरी खाद्य–पौधे का वृक्षारोपण, कीटपालन उपस्कर एवं कीटनाशी सहायता हेतु कुल 3,00,000/– रुपये इकाई लागत की दर से सहायता प्रदान की जाती है।	राज्य के सभी वर्गों के 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक/युवतियों को इसका लाभ देने का प्रावधान है। लाभुकों को 1/2 एकड़ भूमि होना आवश्यक है।	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना
08.	प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना।	केन्द्र प्रायोजित इस योजनान्तर्गत हस्तकरघा बुनकरों को ऋण राशि का 20ः अधिकतम 25,000/– (पच्चीस हजार) तक मार्जिन मनी सहायता एवं अनुदानित ब्याज दर 6ः पर 3 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। हस्तकरघा संगठन का मार्जिन राशि सहायता ऋण राशि का 20ः अधिकतम 2. 00 लाख रुपया है।	व्यक्तिगत बुनकर/उद्यमी बुनकर/ सेल्फ हेल्प ग्रुप/हस्तकरघा संगठन/को–ऑपरेटिव सोसाइटी/ हस्तकरघा निर्माता कम्पनी को लाभ दिया जाता है।	पी0एन0बी0 बैंक
09.	हस्तकरघा क्षेत्र के पुनरूद्धार, सुधार एवं पुनर्निर्माण पैकेज योजना।	स्थगित		

क्र० सं०	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना / कार्यक्रम सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम
10.	महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना।	यह योजना बन्द है। वर्तमान में इसके बदले हस्तकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) चालू है। PMJJBY में बीमा कवर एक साल 1 जून से 31 मई तक रहता है। बीमा को हर साल नवीकरण किया जाता है। PMJJBY में लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये की राशि दी जाती है। बीमा प्रिमियम लागत 330/– रुपये प्रति वर्ष है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान 150/– रुपये एवं राज्य सरकार/बुनकर का अंशदान 180/– रुपये है।	PMJJBY में हर हस्तकरघा बुनकर जिसकी उम्र 18–50 वर्ष तक का हो, उसे इस योजना का लाभ दिया जाता है।	प्रबंधक एल0आई0सी0
11.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (हस्तकरघा बुनकरों के मामले में)।	बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत बीमा कवर एक साल 1 जून से 31 मई तक रहता है। स्वास्थ्य बीमा को हर साल नवीकरण किया जाता है जिसमें लाभार्थी को दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थायी पूर्ण अक्षमता होने पर 2.00 लाख रुपये की राशि दी जाती है तथा स्थायी आंशिक अक्षमता पर राशि 1.00 लाख रुपये प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष प्रिमियम 20/– रुपये भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।	PMSBY में हर हस्तकरघा बुनकर जिसकी उम्र 18–70 वर्ष तक का हो, उसे इस योजना का लाभ दिया जाता है।	प्रबंधक एल0आई0सी0

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम
12.	हथकरघा विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत विभिन्न मेला/एक्सपो का आयोजन।	राज्य के बुनकरों को हस्तकरघा उत्पाद की बिक्री एवं इससे बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मेला/एक्सपो का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय हैण्डलूम एक्सपो एवं स्टटे हैण्डलूम एक्सपो के अवधि 14 दिनों एवं जिला हैण्डलूम एक्सपो की आयोजन अवधि 07 दिनों की होती है। घरेलू एक्सपो में 20ः स्टॉल प्रतिभाशाली बुनकर/एवार्डी बुनकरों को दिया जाता है। क्राफ्ट मेला के तहत सूरज कुण्ड, ताज महोत्सव, सिल्पग्राम–शिल्परामम एवं तोशाली का आयोजन में भाग लेने हेतु बुनकरों को नामित किया जाता है।	हस्तकरघा बुनकर/अभिकरण जिसके पास हैण्डलूम मार्क/इंडिया हैण्डलूम ब्राण्ड का प्रमाण–पत्र है, एक्सपो में स्टॉल प्राप्त करने के पात्र है। हस्तकरघा बुनकर/अभिकरण जिन्होंने हैण्डलूम मार्क/इंडिया हैण्डलूम ब्राण्ड का आवेदन किया है वे भी इसके पात्र है।	विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एन0एच0डी0पी0) के अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय कलस्टर का गठन।	हस्तकरघा बुनकरों को सीधे लाभ देने हेतु हस्तकरघा, कर्मशाला, लाईटिंग यूनिट एवं अन्य हस्तकरघा उपकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कर्मशाला निर्माण हेतु BPL/महिला/SC-ST/ दिव्यांग लाभार्थी बुनकर को 100ः तथा अन्य लाभार्थी को 75ः वित्तीय सहायता दी जाती है। हस्तकरघा, हस्तकरघा उपस्कर एवं लाईटिंग यूनिट हेतु भारत सरकार द्वारा 90ः एवं लाभार्थी का 10ः योगदान होता है।	1. हस्तकरघा रहित बुनकर–वह जो आधुनिक हस्तकरघा चाहते है। 2. व्यक्ति जिसके पास हैण्डलूम/टेक्सटाइल विषय में डिप्लोमा/ डिग्री प्रमाण–पत्र हो। 3. व्यक्ति जो हस्तकरघा में नया उपकरण लगाने के इच्छुक हो। 4. कर्मशाला निर्माण हेतु 25 वर्ग मी0 जमीन लाभार्थी या उसके पति या पत्नी के नाम से होना चाहिए।	विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

क्र० सं०	योजना / कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना / कार्यक्रम सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम
14.	बुनकर ऋण माफी योजना।	इस योजनान्तर्गत हस्तकरघा एवं विद्युतकरघा प्रक्षेत्र के बुनकरों को विभिन्न बैंको के बकाये मूल ऋण राशि की माफी के रूप में आर्थिक मदद हेतु बुनकरों के मूल ऋण की माफी की जाती है। उसका लाभ हस्तकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को मिलता है तथा राशि सीधे लाभुक हस्तकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के बैंक खाता में उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें बुनकरों के रोजगार एवं आय में वृद्धि होगी। हस्तकरघा बुनकरों के लिए ऋण की कोई अधिसीमा नहीं है परन्तु पावलूम बुनकरों का ऋण की अधिसीमा 5.00 लाख रुपये है।	1. इस योजना के लिए कट ऑफ डेट 31.03.2007 तक है, यदि बैंक उक्त ऋण पर आर्थिक ब्याज की राशि को माफ कर दिया जाता है। 2. व्यवसायिक ऋणी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं है। 3. इस योजना वैसे बुनकर (हस्तकरघा / पावरलूम) जो किसी अन्य योजना के तहत ऋण प्राप्त किये हो तथा उस योजना के तहत जिन्हे ऋण सब्सिडी प्राप्त हुई है तो वैसे बुनकर इस ऋण माफी के पात्र नहीं होंगे।	राज्य सरकार

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम
15.	बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना/ क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, बिहारशरीफ, मधुबनी, सिवान, सीतामढ़ी, पूर्णिया एवं भागलपुर तथा प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति से संबंधित मामले।	बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना यह समिति मल्टी सोसाइटी हो गया है, इसको केन्द्रीय सहायता प्राप्त होता है। दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना द्वारा कम्बल बुनकर समितियों के उत्थान के लिए कार्य करना यथा–कम्बल, चादर का उत्पादन करना, विपणन करना, कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराना, राज्य सरकार एवं केन्द्र सकरार के कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाता है। राज्य में क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, बिहारशरीफ, मधुबनी, सिवान, सीतामढ़ी, पूर्णिया एवं भागलपुर तथा प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति का कार्य सदस्यों के बीच में सहकारिता की भावना विकसित करना, सम्बद्ध प्राथमिक समितियों के लिए समुचित दर पर सूत कच्चे माल की व्यवस्था करना तथा तैयार माल के लिए बिक्री के कदम उठाना, सूत आदि की आपूर्ति और तैयार माल की खरीद के प्रयोजनार्थ वित्त ग्रहण करना तथा इन कार्य–कलापो के लिए डीपो और बिक्री इम्पोरियम खोलना।	संघ के कार्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाली प्राथमिक बुनकर सहाकरी सोसाइटी इस संघ की सदस्यता का पात्र होते है। इसके अलावे राज्य सरकार संघ की सदस्य हो सकती है।	प्रबंधकारिणी समिति

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेंवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का पदनाम